स्पीड पोस्ट/ई–मेल

अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
गोपन प्रकोष्ठ, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–C-8406/गोपन–3314पी दिनांकः 26 अप्रैल, 2017

विषयः– चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद पत्र संख्या–सी–76/गोपन–3314पी, दिनांक 06–04–2017 तथा पत्र संख्या–सी–84/गोपन–3314पी, दिनांक 12–04–2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र में शासनादेश सख्याः–838/दो–5–2017–25/आई0 ए0 एस0/16(2), दिनाँक 24–03–2017, के प्रस्तर–1 तथा 2 के अनुसार कार्यवाही करते हुए शासन/परिषद को संकलित सूचना निर्धारित समय के पूर्व उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

विशेष उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03 मई, 2017 को एक बैठक उनके सभाकक्ष में आहूत की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त की प्रति परिषद के गोपन प्रकोष्ठ अनुभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

21/4/17

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।

स्पीड पोस्ट
अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
गोपन प्रकोष्ठ, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः-C-84 /गोपन-3314पी दिनांकः 12 अप्रैल,2017

विषयः- चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्याः- 838/दो-5-2017-25/आई0 ए0 एस0/16(2), दिनाँक 24-03-2017,परिषदादेश संख्या सी-76/गोपन-3314पी दिनांक 6-4-2016 तथा शासनादेश 916/दो-5-2017-25/आईएएस/16(2) दिनांक 5 अप्रैल,2017 (प्रति संलग्न)तथा जो अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व अन्य के साथ साथ आप को सम्बोधित है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 तथा 2 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए शासन को संकलित सूचना निर्धारित समय के पूर्व उपलब्ध कराते हुए परिषद् को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12/4/17

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,